अंचल अधिकारी का कार्यालय, चन्द्रपुरा (बोकारो)

आदेश-पत्रक

वादी शशि शेखर देव पिता कमलनाथ देव.

बनाम

प्रतिवादी इरशाद अली शाह पिता रैनाउल अली एवं अन्य।

जन आवेदन संख्या 22/2021-22

तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बा… टिप्पणी और ता…
17-08-21	आवेदक श्री/श्रीमति शशि शेखर नाथ देव पिता/पति का नाम कमलनाथ देव : स्टेशन रोड ग्राम चन्द्रपुरा पो0 चन्द्रपुरा थाना चन्द्रपुरा जिला–बोकारो की ओर से आवेदन दिया गया है कि जो प्रतिवादी एवं कुबाला जमीन का जाली कागजात बनाकर किसी का जमाबंदी करा लिया गया है जिसे रद्द कर हमलोगों के नाम पर जमाबंदी कायम करने की कृपा की जाए। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक, चन्द्रपुरा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करें। 17-8-21 अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा (बोकारो)	
19-1-2022	अभिलेख उपस्थापित। रा0उ0नि0 एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्र0सं0 (1) से (8) तक के रैयतों का भूमि पर दीवार देकर दखल कब्जा है एवं कोयरी महतो का धान खेत के रूप में आच्छादित भूमि है। धान ही लगाकर उपयोग किया जा रहा है। आवेदक का वर्तमान समय में कोई दखल कब्जा नहीं है। इस प्रकार चल रहे जमाबंदी रैयत को इस प्रकार की जाँच करने का अनुरोध किया गया है।	

तदनुसार सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक उपस्थापित करें।

19-01-22

अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा

4.2.2022	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई है। विपक्षी मुस्ताक अंसारी की ओर से कागजातों की छाया प्रति दाखिल किया गया है। सुदामा देवी एवं कुन्ती देवी के द्वारा अपने-अपने पक्ष में कागजात दाखिल किया है। दोनों पक्षों पक्ष की बहस हेतु अभिलेख दिनांक - 15/02/2021 को रखें। अभिलेख दिनांक - 15/02/2022 को रखें। 4.2.22 अंचल अधिकारी चकुन्द
15/02/2022	अभिलेख उपस्थापित। दोनों पक्षों की हाजरी दी गई। दोनों पक्षों के द्वारा दाखिल कागजातों एवं दोनों पक्षों के बहस को सुना। विपक्षी इम्तियाज अली एवं अन्य की ओर से दाखिल कागजातों का सत्यापन अंचल अधिकारी, कोरमा से करावें। सत्यापन प्रतिवेदन के साथ अभिलेख दिनांक - 28/2/22 को रखें। 15.2.22 अंचल अधिकारी चकुन्द
28/2/22	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, कोरमा से वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है। अभिलेख दिनांक - 15/3/2022 को रखें। 28.2.22 अंचल अधिकारी चकुन्द

10/3/2022	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, बेरो से मालगुजारी रसीद का सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक से दो दिनों के अंदर सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करें। अभिलेख निर्धारित तिथि को रखें। ह०/- 10/3/22 अंचल अधिकारी चान्हो
15/3/2022	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक से सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त है। स्मारित करें। अभिलेख दिनांक 20/4/22 को रखें। ह०/- 15/3/22 अंचल अधिकारी चान्हो
20/4/2022	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक चान्हो से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त है। जो देखा, स्पष्ट है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लगान रसीद इरशाद अंसारी के नाम से, जाँच करने हेतु हल्का कार्यालय में पंजी उपलब्ध नहीं है जिससे जाँच नहीं किया जा सकता है। इसका जाँच अंचल नाजिर से किया जा सकता है। अंचल नाजिर से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक 15/5/2022 को रखें। ह०/- 20/4/22 अंचल अधिकारी चान्हो

कार्यालय, अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा (बोकारो)

पत्रांक 549 /रा0

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
चन्द्रपुरा।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
बेरमो।

चन्द्रपुरा, दिनांक 21 / 06 /2022

विषय :– मालगुजारी रसीद का सत्यापन करने के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक 202/रा0, दिनांक 21.02.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आपसे प्राप्त पत्र की जाँच संबंधित राजस्व उप–निरीक्षक से कराई गई।

जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि संलग्न लगान रसीद मौजा रटारी, थाना संख्या 110 के अंतर्गत खाता संख्या 02, प्लॉट संख्या 157, रकवा 0.40 एकड़ भूमि जो इरशाद अली शाह, पिता एनायत अली शाह के नाम से पंजी–2 के पृष्ठ संख्या 154/1 में जमाबंदी कायम है। पंजी–2 के अनुसार निर्गत लगान रसीद जो निम्नलिखित सर्वे खतियान के अनुसार बकास्त खाते की है :–

क्र0सं0	लगान रसीद संख्या	वर्ष	दिनांक
1	505474	1972–73	13.02.1973
2	535388	1973–74	06.12.1973
3	475234	1974–75	08.03.1975
4	137092	1975–76	09.02.1976
5	193041	1976–77	09.02.1977
6	174069	1978–79	20.02.1979
7	174375	1980–81	08.03.1981
8	089839	1984–85	19.02.1984
9	145731	1985–86	23.11.1985
10	126164	1986–87	01.03.1987
11	601938	1988–89	21.02.1989
12	847107	1994–95	29.11.1994
13	295281	1997–98	04.01.1998

उपरोक्त भूमि के खाता संख्या 02, प्लॉट संख्या 157, रकवा 0.40 एकड भूमि पंजी–2 के पृष्ठ संख्या 154/1 में इरशाद अली शाह के नाम से जमाबंदी कायम होकर वर्ष 1997–98 तक लगान रसीद निर्गत है तथा ऑफलाईन पंजी–2 से वर्ष 1976–77 से 2018–19

तक रसीद निर्गत है। उक्त भूमि को पूर्व में जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा कुल रकवा 0.40 एकड़ भूमि को पूर्व में बिक्री की जा चुकी है। विक्रय के पश्चात क्रेताओं के नाम जमाबंदी निम्न प्रकार है :-

क्रेता का नाम	पिता/पति के नाम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	पृष्ठ सख्या
1. सुदामा कुमार	सोहन लाल वर्णवाल	2	157	0.08	36/10
2. कंचन देवी	रंजीत कुमार	2	157	0.04	64/10
3. संगीता कुमारी	सुदामा कुमार	2	157	0.09	65/10
4. इसदाद खातुन	मुस्ताक अंसारी	2	157	0.19	33/11

उपरोक्त व्यक्तियों के नाम से पंजी-2 में जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद निर्गत हो रहा है तथा भूमि पर चारहदवारी एवं एलबेस्टर का पक्का मकान बना दिया गया हैं। उक्त भूमि पर सभी का दखल कब्जा है। आवेदक शशि शेखर नाथ देव, पिता कमलनाथ देव का कभी दखल नहीं रहा है। वर्तमान समय में क्रेतागण का दखल कब्जा नहीं रहा है। वर्तमान समय में क्रेतागण का दखल कब्जे में है।

राजस्व उप-निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भंडार पंजी उपलब्ध नहीं रहने के कारण इसका जाँच नहीं किया जा सका। अंचल कार्यालय में संधारित भंडार पंजी से अंचल नाजीर द्वारा किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि अंचल में संधारित भंडार पंजी से सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

21-6-22

अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा।
21/6/2022

Digitally signed by Naresh Kumar Verma
Date: 2024.07.19 18:19:28 +05:30
Location: 192.168.154.228